पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 16, अंक 4/2015

कम उत्पादन और अनुपलब्धता जैविक खेती में मुख्य बाधा - 'कट्स' सर्वे

हालांकि प्रदेश के 97.6 फीसदी किसान रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान से अवगत हैं, लेकिन जैविक खेती से कम उत्पादन का डर एवं जैविक खाद व बीज की अनुपलब्धता के कारण 69.6 फीसदी किसान रासायनिक खेती करने के लिए बाध्य हैं। जबकि 16.3 फीसदी किसान ही पूर्ण रूप से जैविक खेती कर रहे हैं।

यह तथ्य 'कट्स' द्वारा प्रदेश के छह जिलों में चलाई जा रही 'प्रो-ओर्गेनिक' परियोजना के तहत कराए गए सर्वेक्षण में सामने आए हैं। यह परियोजना 'स्विडिश सोसायटी फॉर नेचर कन्जरवेशन' स्वीडन के आर्थिक सहयोग से प्रदेश के छह जिलों में चलाई जा रही है, जिसका मकसद जैविक खेती और उसके उपभोग को बढ़ावा देना है।

यह सर्वे छह जिलों की 51 ब्लॉक की 102 ग्राम पंचायतों में किया गया। सर्वे में 1605 किसानों और 1517 उपभोक्ताओं ने हिस्सा लिया और पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया। इनमें 40 फीसदी महिलाएं भी शामिल हैं। सर्वे के दौरान किसानों का कहना था कि विपणन की तकनिकी जानकारी के अभाव में किसान अपने उत्पादों का अच्छा मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते। साथ ही किसानों ने सुझाव दिया कि जागरूकता का प्रसार करके व सरकारी एजेंसियों पर जैविक उत्पादों की खरीद का दबाव बना कर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है।

सर्वेक्षण से प्राप्त नतीजों को 'कट्स' द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय पैरवी एवं शोध प्रस्तुतिकरण बैठक में भी प्रस्तुत किया गया। बैठक में भाग लेते हुए राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान के निदेशक डॉ. शीतल प्रसाद ने जैविक खेती के लिए राजस्थान में सर्वप्रथम मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने और किसानों व उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के प्रयासों की आवश्यकता जताई। एस.के.एन. कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के प्रोफेसर डॉ. ए.के.गुप्ता ने कहा कि जैविक खेती से किसानों और उपभोक्ता दोनों को फायदा है।

इस अवसर पर कृषि अनुसंधान केन्द्र दुर्गापुरा के प्रोफेसर डॉ. एस. मुखर्जी ने कहा कि जैविक खेती के उत्पादों के लिए घरेलू उपयोग व निर्यात के लिए विशेष जैविक उत्पाद केन्द्रों की स्थापना करनी होगी। वर्धमान बाफना, महाप्रबन्धक मोरारका फाउण्डेशन ने ग्राम पंचायत स्तर पर जैविक उत्पादों की बिक्री हेतु दुकानें खोलने की बात कही।

कार्यक्रम में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने जैविक खेती की आवश्यकता और उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए उत्पादों के लिए उपभोक्ता केन्द्रित नीति बनाने की जरूरत जताई। दीपक सक्सेना वरिष्ठ कार्यक्रम समन्वयक ने परियोजना की गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण दिया वहीं राम कुमार झा, नीति विश्लेषक ने शोध परिणामों का प्रस्तुतिकरण किया।

बैठक में कृषि व खाद्य विभाग, दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केन्द्र तथा जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों, जैविक खेती पर काम करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों व विभिन्न जिलों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

इस अंक में...

- पेंशन के लिए रईसजादे बने गरीब 3
- ऐसे तो कैसे डिजिटल होगा इंडिया? 4
- भ्रष्टाचार ने रोकी विकास की राह 6
- बिजली छीजत पर लगाम कसेंगे निजी हाथ .. 8
- प्रदेश में पानी हुआ महंगा 9

नगरीय निकायों के क्षमता संवर्धन के लिए एमओयू

प्रदेश की नगरीय निकायों के क्षमता संवर्धन के लिए शासन सचिवालय में स्वायत्त शासन मंत्री राजपाल सिंह शेखावत एवं प्रमुख शासन सचिव डॉ. मनजीत सिंह की उपस्थिति में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक पुरुषोत्तम वियाणी एवं 'कट्स' इंटरनेशनल के महामंत्री प्रदीप एस. महता ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि प्रदेश की नगरीय निकायों के क्षमता संवर्धन की आवश्यकता को देखते हुए स्वायत्त शासन विभाग द्वारा 'कट्स' इंटरनेशनल जो कि अरबन गवर्नेंस के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान है, से तीन वर्ष के लिए एमओयू किया गया है। उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों के क्षमता संवर्धन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा सभी नगरीय निकायों के लिए अलग अलग एक्शन प्लान एवं मॉडल बनाए जाएंगे। साथ ही 'कट्स' द्वारा प्रदेश के महापौरों के लिए 'सिटी मेयर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म' बनाया गया है।

इस प्लेटफॉर्म पर सभी नगर निकायों के महापौर एवं उपमहापौर नगरीय निकायों की सर्वोत्तम प्रक्रिया को आपस में बांटेंगे और उस पर विचार-विमर्श कर अपनी-अपनी नगरीय निकायों में लागू कर सकेंगे। उक्त मंच स्थानीय निकायों के चयनित जनप्रतिनिधियों को आपस में नये विचारों एवं नवाचारों को साझा करने का मौका देगा, जिससे सभी भागीदारों की क्षमता का विस्तार हो सकेगा। डॉ.मनजीत सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की सभी नगरीय निकायों को विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। राज्य सरकार छोटी-छोटी नगरीय निकायों को सक्षम बनाना चाहती है। उन्होंने बताया कि इसके लिए पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में छोटी नगरपालिका का चयन कर कार्य का शुभारंभ किया जाएगा।

'कट्स' कन्ज्यूमर इन्टरनेशनल की गवर्निंग काउन्सिल में चयनित

'कट्स' उपभोक्ता संस्थाओं के अन्तरराष्ट्रीय महासंघ की गवर्निंग काउन्सिल में चयनित हुआ है। पिछले दिनों ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में आयोजित आमसभा में सम्पन्न हुए परिषद के चुनावों में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन को 'कट्स' के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। कन्ज्यूमर इन्टरनेशनल का मुख्यालय लन्दन में हैं। इसके 120 देशों के 240 से अधिक उपभोक्ता संगठन सदस्य हैं। यह उपभोक्ताओं की विश्व स्तर पर आवाज बुलन्द करने के लिए स्वतन्त्र रूप से कार्य करता है। कन्ज्यूमर इन्टरनेशनल में अध्यक्ष के अलावा 13 सदस्य चुने गए हैं।

जॉर्ज चेरियन द्वारा पूर्व में भी 'कट्स' प्रतिनिधि के रूप में उपभोक्ता कल्याण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए है। इसके लिए अमरिकी उपभोक्ता परिषद द्वारा वर्ष 2013 में भी प्रतिष्ठित रोडा कारपटकिन अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा, वे कन्ज्यूमर इन्टरनेशनल में जी-20 देशों के साथ वित्तीय सेवा और डिजीटल युग में भी अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञ के रूप में शामिल रहे हैं। संस्था प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

'पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑबजर्वेट्री' की राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित

'कट्स' जयपुर में 'पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑबजर्वेट्री' विश्व बैंक के सहयोग से 2015 में स्थापित की गई है, जो कि राज्य में सार्वजनिक खरीद से संबंधित कानूनी स्वरूप का अध्ययन व अनुसंधान कर इसमें सुधार व प्रभावी क्रियान्वयन के सुझाव राज्य सरकार को देती है।

राजस्थान उन कुछ प्रदेशों में से एक है जहां प्रोक्योरमेंट एक्ट, 2012, प्रोक्योरमेंट रूल्स, 2013, पी.पी.पी. पॉलिसी, 2008 व स्विश चैलेंज सिस्टम, 2015 लागू है। लेकिन अभी भी बहुत सारे सरकारी उपक्रम इस कानून का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहे हैं। सरकारी खरीद से संबंधित समस्त दस्तावेजों को एस.पी.पी.पी. पोर्टल पर नहीं डाला जा रहा है। संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिये जाने तथा नोडल विभाग, जो कि वित्त विभाग है, को भी इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक संसाधन देकर और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

ऑबजर्वेट्री द्वारा 30 नवम्बर, 2015 को एक राज्य स्तरीय सेमीनार का आयोजन किया गया जिसमें एशियन डवलपमेंट बैंक के प्रोक्योरमेंट प्रभारी हीयायूकी मारूयामा व 150 के लगभग सरकारी अधिकारियों ने भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया।

पेंशन के लिए रईसजादे बने गरीब

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में फर्जीवाड़ा थम नहीं रहा है। पेंशन का फायदा कई ऐसे लोग भी उठा रहे हैं जो या तो विदेश में रहते हैं या राज्य के बाहर व्यापार कर रहे हैं।

प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार ने अभियान चला कर गरीबों को राहत देने का मानस बनाया था। उस दौरान कई अपात्र लोगों को योजना से जोड़ते हुए महज एक माह में 26 लाख से भी ज्यादा नए पेंशनर जोड़ दिए गए। इससे राज्य में दोगुने पेंशनर हो गए। इसके बाद वर्तमान सरकार में 11 लाख नए पेंशनर और जुड़ गए। इस तरह प्रदेश में अभी 58 लाख 81 हजार 532 पेंशनर हो गए हैं। जबकि, हकीकत में इनमें 50 फीसदी तक अपात्र लोग शामिल हैं। इनमें कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जो सरकारी सेवा से पेंशन के अलावा अतिरिक्त पेंशन उठा रहे हैं। *(रा.प., 15.10.15)*

बुजुर्गों के स्वास्थ्य में प्रदेश फिसड्डी

बुजुर्गों के स्वास्थ्य रक्षण के लिए जो राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर द हैल्थ केयर ऑफ एल्डरली संचालित किया जा रहा है, उसके लिए केन्द्र से रकम जारी करने के बाद भी राज्य सरकार उसे समुचित रूप से खर्च नहीं कर पाई। वर्ष 2012-13 के दौरान 711.2 करोड़ रुपए राज्य को मिलें जिसमें से केवल 147.65 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए।

वर्ष 2013-14 में भी 61.94 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए। 2014-15 में केन्द्र ने 87.05 करोड़ रुपए और जारी किए लेकिन उसमें से केवल 23.15 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए। चालू वित्त वर्ष में 2704 करोड़ रुपए जारी हुए पर अभी तक 476.53 करोड़ रुपए ही खर्च हो सके। *(न.नु., 05.12.15)*

सरकारी विभागों पर डेढ़ करोड़ बकाया

सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत सूचना नहीं देने के 951 मामलों में जिन अफसरों के खिलाफ सूचना आयोग ने जुर्माना लगाया, वह आज तक जमा नहीं करवाया गया। करीब 28 सरकारी विभागों के अफसरों पर 1.52 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना बकाया है। पिछले करीब छह साल से यह जुर्माना राशि बकाया चल रही है।

सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2009-10 से लेकर इस अक्टूबर तक 951 मामले ऐसे हैं, जिनमें न तो सूचना दी गई और न ही आयोग में जुर्माना जमा करवाया गया। जुर्माने का यह पैसा अफसरों के वेतन से वसूला जाना है। *(दै.न., 19.10.15)*

केरोसीन में हुई करोड़ों की बंदरबांट

प्रदेश में गरीब के ईंधन व उजाले के नाम पर करोड़ों रुपए का 'खेल' हो रहा है। जयपुर में आधे से अधिक परिवारों के पास गैस कनेक्शन नहीं है। यह बात आपके भले ही गले नहीं उतर रही हो, लेकिन सरकारी तंत्र में इस आंकड़े की आड़ में करोड़ों रुपए का केरोसीन कालाबाजारी की भेंट चढ़ रहा है।

अकेले जयपुर शहर में हर माह 10 से 11 लाख लीटर केरोसीन उन 4.6 लाख जरूरतमंदों के नाम पर जारी किया जा रहा है, जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है। जबकि इनमें से अधिकांश के पास गैस कनेक्शन हैं और वे केरासीन की पात्रता नहीं रखते। जिम्मेदार अधिकारी इसकी पड़ताल करने के बजाय सिर्फ मिलीभगत कर अपात्र लोगों के नाम केरोसीन की खपत दर्शाकर धन बटोर रहे हैं। *(रा.प., 07.12.15)*

कागजों में करोड़ों की सोलर लाइटें

राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत मुख्यालय के प्रमुख चौराहों, पंचायत भवनों व प्रमुख स्थलों पर सोलर लाइटें लगाने के आदेश दिए थे। जिसके तहत ग्राम पंचायतों में सोलर लाइटें खरीदी गई। लेकिन किसी ग्राम पंचायत में कागजों में तो किसी में निर्धारित से अधिक दरों पर खरीद कर ली।

राज्य सरकार के आदेश पर हुई जांच में अब तक कोटा व बारां जिले की 92 ग्राम पंचायतों में गड़बड़झाला सामने आ चुका है। जांच में करीब 3 करोड़ 26 लाख रुपए के अनियमित भुगतान की गड़बड़ी उजागर हो चुकी है। कोटा जिले की 45 ग्राम पंचायतों और बारां जिले की 47 ग्राम पंचायतों में घालमेल सामने आया है। *(रा.प., 09.10.15)*

वन विभाग के प्रोजेक्ट में हुई धांधली

राजस्थान में वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना (आरएफबीपी)-2 के ठेके देने में वन विभाग के आला अफसरों की मिलीभगत सामने आई है। गोवा व असम की दागी और विवादित अमेरिकी कंपनी लुई बर्गर को ठेका देने के लिए टेंडरों की शर्तों में काफी हेराफेरी की गई। ठेका दिए जाने के ढाई साल तक मामले को अधिकारियों ने छुपाए रखा, बाद में सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में धांधली उजागर हुई।

उक्त परियोजना में जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जायका) की ओर से राजस्थान को 2011-12 से लेकर 2018-19 तक के बीच प्रदेश के वानिकी और जैव विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए 1153 करोड़ रुपए फंड किया गया है। इसमें से मानव संसाधन मुहैया कराने के लिए लुई बर्गर को ठेका दिया गया। *(दै.भा., 22.11.15)*

'राहत' पर भारी डिस्कॉम की मनमानी

प्रदेश में खराब मीटर की पीड़ा झेल रहे बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कंपनियां नियम कायदों को ताक पर रख कर दोहरा झटका दे रही है। जहां खराब मीटर के एवज में उपभोक्ताओं को मनमर्जी का औसत बिल थमाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बिजली बिल में दी जाने वाली पांच फीसदी की छूट पर भी कुंडली मारे बैठी है।

राजस्थान विद्युत नियामक आयोग भी इसके लिए कंपनियों को निर्देशित कर चुका है। बावजूद इसके अधिकारी फाइलों में मामले को उलझाकर बैठे हैं। वह न तो खराब मीटर को बदलने को लेकर गंभीर है, न ही नौ लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को बिजली बिल में पांच फीसदी छूट दे रहे हैं। *(रा-.प., 28.12.15)*

ऐसे तो कैसे डिजिटल होगा इंडिया?

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया का अगले 10-15 सालों में भी पूरा होना मुश्किल दिख रहा है। इस योजना के तहत 2019 तक 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना है। लेकिन इसमें अभी मात्र करीब 3500 पंचायतें ही जुड़ पाई है। यानी दो फीसदी से भी कम। इसमें राज्य सरकारों और कॉर्पोरेट सेक्टर की अहम भूमिका है, लेकिन अब तो इन सेक्टरों से जुड़े लोग भी इसकी धीमी रफ्तार को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

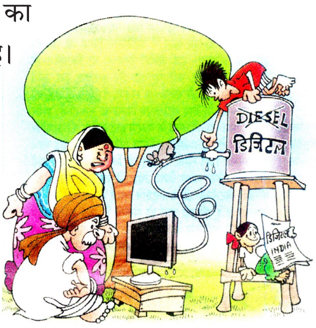

पिछले माह आई ट्राई की रिपोर्ट में भी इस प्रोजेक्ट की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की गई है। स्थिति यह है कि अभी तक सरकार यह भी तय नहीं कर पाई कि इसे कैसे किया जाए और किन एजेंसियों को भागीदार बनाया जाए। *(दै.भा., 13.12.15)*

सुस्त चाल से योजनाएं प्रभावित

राज्य में केन्द्र प्रवर्तित ग्रामीण विकास योजनाओं में खर्च करने की सुस्त चाल ने बजट राशि में कटौती का खतरा बढ़ा दिया है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ज्यादातर योजनाओं में अब तक आधी राशि भी खर्च नहीं होने पर राज्य सरकार को चेताया है।

केन्द्र की योजनाओं में नरेगा, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, इंदिरा आवास योजना प्रमुख रूप से लक्ष्य हासिल करने में काफी कमजोर साबित हुई हैं। इंदिरा आवास योजना में अभी तक निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले औसतन 39 प्रतिशत ही लक्ष्य पूरा हो पाया है, वहीं नरेगा योजना में लक्ष्य के मुकाबले 40-47 फीसदी राशि ही खर्च हो पाई है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना भी सुस्त चाल की शिकार बनी हुई है।

(दै.न., 25.12.15)

बीमा की फांसः किसान खाली हाथ

फसल बीमा योजना से प्रदेश के किसानों की झोली में कुछ नहीं आ रहा, अलबत्ता बीमा कंपनियां अपनी तिजोरी जरूर भर रही हैं। कंपनियों को किसान, केन्द्र व राज्य सरकार से प्रीमियम के रूप में करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, लेकिन इसका चौथाई भी वापस किसानों तक नहीं पहुंच रहा।

पिछले चार साल में बीमा कंपनियों ने फसल बीमा के पेटे करोड़ों रुपए कमाए हैं। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि जैसी विपदा में किसानों को कुछ नहीं मिला। किसान सदा सरकार का मुंह ताकते हैं। कंपनियों की अफसरों से मिलीभगत कर फसल बीमा में खेल किया जाता है। *(रा.प., 25.12.15, 28.12.15)*

बच्चों की थाली से रूठी दाल

प्रदेश के 62 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत अब दाल नसीब नहीं होती। दालों के ऊंचे भावों ने केन्द्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना को गड़बड़ाया हुआ है। वर्ष 2009 में केन्द्र सरकार ने पोषाहार में दाल की मात्रा प्रति छात्र 25 ग्राम से बढ़ाकर 30 ग्राम कर दी थी, ताकि प्रोटीन और अन्य जरूरी न्यूट्रेंटस बच्चों तक ज्यादा मात्रा में पहुंच सके।

जहां पहले सप्ताह में तीन से चार दिन दाल-रोटी और खिचड़ी मिलती थी उसकी जगह अब सब्जी-रोटी ने ले ली है। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार से प्रति छात्र केवल 3.76 व 5.64 रुपए मिलता है, उसी से योजना के तहत ईंधन, तेल, मिर्च-मसाला, साग-सब्जी आदि का जुगाड़ करना होता है।

(दै.न., 17.10.15)

कागजों में ग्रीन हाउस, सब्सिडी जेब में

किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और खेती के प्रति रुझान बनाए रखने के लिए शुरू की गई ग्रीन हाउस (पॉली हाउस) योजना में विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से कागजों में ही ग्रीन हाउस दिखा कर लाखों रुपए का अनुदान हड़प लेने का मामला सामने आया है।

कृषि विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक प्रदेश में 419 किसानों को वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक करीब 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है, लेकिन अधिकांश स्थानों पर ग्रीन हाउस का नामो-निशान तक नहीं है। अनुदान उठाने के बावजूद ग्रीन हाउस विकसित नहीं करने वालों के नाम पर कार्रवाई तो दूर विभागीय अधिकारी इस घपले को दबाने की कोशिशों में ही जुट गए हैं। *(रा.प., 16.10.15)*

डिस्कॉम से 49 फाइलें 'गायब'

डिस्कॉम की सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) शाखा में पिछले कई सालों से चल रहे भ्रष्टाचार के खेल को दबाने की तैयारियां शुरू हो गई है। बैगेर काम के भुगतान या फिर एक ही तरह के भुगतान के दो-दो बार आर्डर जैसी शिकायतों के बीच अब आईटी शाखा से करोड़ों के टेंडरों से जुड़ी चार दर्जन से अधिक फाइलें गायब कर दी गई हैं।

गौरतलब यह है कि बिजली कंपनियों के गठन के बाद से आईटी के 45 से ज्यादा प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इनमें हुई शिकायतों के बावजूद ऑडिट नहीं कराना गहरा सवाल खड़ा करता है। मामला सामने आने के बाद से आईटी के अभियंताओं से लेकर उच्च प्रबंधन तक हड़कंप मच गया है। आनन-फानन में 30 से ज्यादा अभियंताओं को सर्च मीमो जारी किए गए हैं।

(रा.प., 05.10.15, 09.10.15)

बहती 'गंगा' में साहबों ने धोए हाथ

गरीब किसान को फसल मुआवजा व फसली कर्ज की चर्चा पर बुलाई बैठक में उपहार के नाम पर बंदरबांट का अनोखा खेल उजागर हुआ। राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि. (अपेक्स) की 59वीं आमसभा में किसान प्रतिनिधियों को ही नहीं, अफसरों को भी 21 हजार रुपए नकद (कैश कूपन) बांट दिए गए। बैठक में केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रशासक के तौर पर आए दो जिला कलेक्टरों ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए ।

यह ही नहीं, जो कूपन बच गए तो उन्हें सहकारिता विभाग व बैंक अफसरों ने बांट लिए। इनमें सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक के विशिष्ट सचिव व आरएएस एस.पी. सिंह भी शामिल है। कई अफसर ऐसे भी हैं जो सभा में पहुंचे ही नहीं उनको कैश कूपन दे दिए गए। *(रा.प., 28.12.15)*

जरूरी है गरीबी उन्मूलन के लिए भ्रष्टाचार से संघर्ष: मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। उनकी सरकार प्रणालीगत और नीति-नियंत्रित शासन चलाने पर ध्यान दे रही है और राजकाज का ऐसा ढांचा चाहती है जो संवेदनशील, पारदर्शी औरा जवाबदेह हो।

नई दिल्ली में ग्लोबल फोकल पाइंट कांफ्रेंस ऑन एसेट रिकवरी एवं सीबीआई और प्रदेश एसीबी/निगरानी ब्यूरो के 21वें सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मोदी ने कहा कि गरीबी उन्मूलन के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ अनवरत संघर्ष की जरूरत है। सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने और कालेधन से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और भ्रष्टाचार से कड़ाई से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। *(दै.न. एवं न.नु., 19.11.15)*

लोकायुक्त से भ्रष्टाचार का खात्मा

राज्य विधानसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा सिंह और पूर्व उपाध्यक्ष रामनारायण मीणा ने कहा है कि अगर राज्य में भ्रष्टाचार का खात्मा करना है तो लोकायुक्त को ओर सशक्त बनाया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार से मुक्ति की एकमात्र रामबाण औषधि सशक्त, निष्पक्ष और स्वतंत्र लोकायुक्त ही है। दोनों नेताओं ने एक बयान में कहा कि हाल ही में सरकार ने जिन खानों को रद्द कर उनके आवंटन को लोकायुक्त से जांच का फैसला लिया है वह तब तक असरकारी नहीं हो सकता, जब तक लोकायुक्त को पूरी तरह सशक्त बना कर अधिकार सम्पन्न नहीं कर दिया जाता।

इस जांच की सार्थकता तो तभी सही साबित होगी, जब लोकायुक्त को पूर्ण सशक्त बनाकर मुख्यमंत्री को भी लोकायुक्त के दायरे में लाया जाएगा। *(दै.न., 23.10.15)*

आरटीआई से भ्रष्टाचार की जानकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के माध्यम से देश की आम जनता के पैसे कहां खर्च हो रहे हैं और कहां-कहां भ्रष्टाचार हो रहा है इसकी पूरी जानकारी मिल जाती है। इसी आधार पर देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम भी कसी जा सकती है।

सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय ने यह संदेश हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में छात्रसंघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे में युवाओं को देशहित में कार्य करने का प्रयास करना चाहिए और समाज को जागरूक कर देश के विकास में भागीदार बनना चाहिए। *(रा.प., 13.12.15)*

घूस के बिना काम नहीं होता

लोकायुक्त एस.एस.कोठारी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज देश में राजनीतिक, प्रशासनिक सहित ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जो भ्रष्टाचार से अछूता हो। जिस भारत देश का नाम पूरे विश्व में सम्मान से लिया जाता था, आज उसी देश का भ्रष्टाचार की सूची में 85 वें स्थान पर नंबर आता है।

कोठारी ने कहा कि देश में अब भ्रष्टाचार शिष्टाचार बनता जा रहा है। रोज नए-नए घोटाले उजागर हो रहे हैं, सरकारी कार्यालयों में बिना रिश्वत दिए काम नहीं होता।

उन्होंने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों व लोक सेवकों के खिलाफ शिकायत करने की कार्रवाई के संबंध में जनता को लोकायुक्त के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

(दै.भा., 07.10.15)

संपत्ति जब्त करने के कानून पर मुहर

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च सार्वजनिक और राजनीतिक पदों पर आसीन व्यक्तियों सहित भ्रष्टाचार के आरोपियों की संपत्ति जब्त करने संबंधी बिहार और ओडिसा के दो कानूनों की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की।

कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक आपदा राष्ट्रीय आर्थिक आतंक बन गया है। इस पर दूसरी तरह से काबू पाना जरूरी है। *(रा.प., 14.12.15)*

खुलासा नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई

काले धन पर बने नए कानून के मुताबिक काले धन की घोषणा के लिए सरकार ने तीन माह का वक्त दिया था। इसका खुलासा करने की अंतिम तारीख 30 सितम्बर थी। आयकर विभाग में इसके लिए एक जुलाई से खोली गई कंप्लायंस विंडो अब बन्द कर दी गई।

इसके बाद मंत्रालय द्वारा काले धन के प्रोविजनल आंकड़े भी जारी कर दिए गए। अभी अंतिम आंकड़े आने बाकी हैं। सरकार को उम्मीद से कम रकम मिली है। सरकार ने कहा है कि जिन लोगों ने विदेश में रखे अवैध धन का खुलासा नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कांग्रेस ने पूछा है कि मोदी कह रहे थे विदेशों में 80 लाख करोड़ रुपए जमा है, वे कहां गए? *(दै.भा., 02.10.15)*

डॉक्टर-इंजीनियरों के पास कालाधन

केन्द्र सरकार द्वारा विदेशों में जमा कालेधन का खुलासा करने के लिए जिन 638 नामों का खुलासा किया है, उनमें सबसे ज्यादा संख्या डॉक्टरों, इंजीनियरों व बड़ी कंपनियों में काम कर चुके सीनियर मैनेजरों की है।

चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ ऐसे लोग भी है जो पहले विदेश में थे लेकिन अब भारत में बस गए हैं। केन्द्र सरकार के मुताबिक अब तक कुल 4,147 करोड़ के कालेधन का खुलासा हो चुका है। हालांकि यह पता नहीं चल सका कि इनमें से किसके पास कितनी रकम थी। (रा.प. 07.10.15)

भ्रष्टाचार ने रोकी विकास की राह

भ्रष्टाचार ने भारत के विकास की राह को रोका है। संसाधनों से भरपूर व समृद्ध परम्पराओं वाले देश में जिस तेजी से विकास होना चाहिए था, वह भ्रष्टाचार की वजह से नहीं हो पाया है।

भीलवाड़ा जिले की माण्डलगढ़ पंचायत समिति के सभागार में स्थानीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा गणमान्य नागरिकों की बैठक को संबोधित करते हुए लोकायुक्त एस.एस. कोठारी ने कहा कि लोक सेवकों के विरुद्ध बढ़ रही शिकायतों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रभावी लोकायुक्त अधिनियम की आवश्यकता है। वर्तमान लोकायुक्त अधिनियम काफी पुराना हो गया है। अब इसमें परिवर्तनों की आवश्यकता है। लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भिजवाए गए हैं, जिन्हें लागू किया जाना अपेक्षित है।

उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर नैतिकता के मानदण्ड स्थापित करने तथा उनकी रक्षा का दायित्व है, वे ही लोग इसे तार-तार कर रहे हैं और इससे देश की युवा पीढ़ी त्रस्त है। भ्रष्टाचार को लेकर नागरिकों में भी आक्रोश है, फिर भी भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में भ्रष्टाचार का प्रतिकार करने का अभाव है बल्कि वे भी इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। जब तक प्रतिकार नहीं होगा इस पर अंकुश लगाना संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने शहरी व ग्रामीण स्तर तक लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष कैम्प लगाने की आवश्कता जताई। *(न.नु., 01.10.15)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
अजमेर	डॉ. नरेन्द्र सिंह हाड़ा	फिजिशियन, जवाहर लाल नेहरू अस्पताल	1,500	*रा.प. एवं दै.भा., 09.10.15*
जयपुर	सुशील पारीक	सहायक आयुक्त, कस्टम आफिस, जयपुर	2,00,000	*दै.भा. एवं रा.प., 13.10.15*
प्रतापगढ़	रामेश्वर लाल चौधरी	एएसआई, धमोत्तर थाना, प्रतापगढ़	3,000	*दै.भा., 14.10.15*
जयपुर	पुष्पेन्द्र सिंह	सब इंस्पेक्टर, वैशाली नगर थाना	50,000	*दै.भा. एवं रा.प., 18.10.15*
सीकर	मुरारीलाल रावत	एईएन, श्रीमाधोपुर पंचायत समिति	25,000	*दै.भा., 21.10.15*
उदयपुर	प्रथ्वी सिंह	थानेदार, हाथीपोल थाना, उदयपुर	3,000	*दै.भा. एवं दै.न., 22.10.15*
अलवर	ओमसिंह	चौकी इंचार्ज, नौगांवा क्षेत्र की धम्मनवास चौकी	10,000	*दै.न., 25.10.15*
जयपुर	सुरेन्द्र स्वामी	पटवारी, रहलाना, दूदू, जयपुर	15,000	*दै.भा. एवं दै.न., 28.10.15*
भरतपुर	रघुनाथ सिंह	ब्लॉक प्रोग्राम मेनेजर, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग	5,000	*दै.भा. एवं दै.न., 03.11.15*
टोंक	मनोज कुमार गुप्ता	सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम	4,000	*दै.भा. एवं दै.न., 05.11.15*
जैसलमेर	वेणीदान माड़वा	प्रधानाध्यापक, राजकीय उ.प्राथमिक विधालय	40,000	*दै.भा., 27.11.15*
बाड़मेर	मांगी लाल	हेड कॉस्टेबल, विशाला चौकी, बाड़मेर	20,000	*दै.भा.एवं दै.न., 28.11.15*
करौली	राजेन्द्र सैनी	तकनीकी सहायक, एईएन कार्यालय विद्युत निगम	5,000	*दै.भा., 01.12.15*
अजमेर	राजेश वर्मा दीपसिंह मीणा	वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर नियोजक कार्यालय सहायक नगर नियोजक, नगर नियोजक कार्यालय	40,000	*दै.न. एवं दै.भा., 02.12.15*
जयपुर	हकीम मोहम्मद	रीडर, सहायक कलेक्टर कार्यालय, सांभर	20,000	*रा.प. एवं दै.न., 05.12.15*
जोधपुर	जगदीश विश्नोई डूंगरदान	एसीपी (मंडोर), पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर दलाल	70,000	*रा.प. एवं दै.न., 06.12.15*
उदयपुर	अनिल जोशी	कनिष्ठ अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.	15,000	*दै.भा. एवं दै.न., 08.12.15*
जयपुर	आनंद बिहारी ओझा	पटवारी, आमेर तहसील, जयपुर	10,000	*दै.भा., 10.12.15*
हनुमानगढ़	सतवीर पूनिया भजन लाल सोनी	थाना प्रभारी, गोगामेड़ी थाना, हनुमानगढ़ दलाल	25,000	*दै.भा., 15.12.15*
जोधपुर	मुकेश मीणा	इंस्पेक्टर, आयकर विभाग	25,000	*दै.भा., 17.12.15*

देश में लागू होगा खाद्य सुरक्षा कानून

केन्द्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि तमिलनाडू के अलावा सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में मार्च 2016 के अंत तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक 22 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश इस कानून को लागू कर चुके हैं।

कानून के तहत देश की दो तिहाई आबादी को प्रतिमाह एक से तीन रुपए किलो की दर पर प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम तक खाद्यान्न सब्सिडी पाने का कानूनी हक दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन 14 राज्यों ने खाद्य सुरक्षा कानून लागू नहीं किया गया है उनमें इसे शीघ्र लागू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। *(दै.भा., 24.11.15)*

नरेगा श्रमिकों तक हाथ का हुनर

देश भर में नरेगा श्रमिकों की बड़ी तादाद को देखते हुए केन्द्र सरकार के स्तर पर नरेगा श्रमिकों के युवा बच्चों को कौशल विकास से जोड़ने की कवायद शुरू हुई है। इसी क्रम में राजस्थान में भी कौशल विकास से जोड़ने के लिए ऐसे युवाओं को प्रेरित किया जाएगा।

इसके लिए राज्य स्तर पर रूपरेखा तय करने की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग को सौंपी गई है। योजना के तहत युवाओं को कौशल विकास के तहत दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही प्रशिक्षण के बाद स्वरोजगार से जुड़ने की प्रक्रिया में लोन सुविधा, कच्चा माल मुहैया कराने व बिक्री में भी मदद दी जाएगी। *(दै.न., 03.12.15)*

भंडारण क्षमता का होगा विस्तार

सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया है कि किसानों की सहायता के लिए सहकारिता क्षेत्र में ग्राम स्तर पर भंडारण क्षमता का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पांच हजार टन क्षमता के 50 नए सहकारी गोदामों के निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

इसके अलावा राज्य बजट से भी चार हजार 300 टन भंडारण क्षमता के गोदामों का निर्माण किया जाएगा, जिसके आदेश सितम्बर माह में जारी किए जा चुके हैं। राज्य सरकार के बजटीय सहयोग से 100 गोदाम बनाए जाएंगे साथ ही पुराने गोदामों की मरम्मत भी कराई जाएगी। *(दै.न., 13.10.15)*

ताकतवर बनेगा महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग को और ताकतवर बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय इसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में संशोधन की तैयारी कर रहा है।

सूत्रों के अनुसार महिला आयोग को दीवानी अदालत का अधिकार देने की योजना बनाई जा रही है। संशोधन को मंजूरी मिल जाने के बाद महिला आयोग का दर्जा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बराबर हो जाएगा। इससे आयोग को महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में किसी को गिरफ्तार करने, जांच करने, समन जारी करने और दंडित करने का अधिकार मिल जाएगा।

(रा.प., 04.012.16)

स्वच्छ भारत में राज्य प्रथम

देश में खुले में शौच से मुक्त किए जाने के अभियान के तहत शौचालयों के निर्माण में राजस्थान देश में पहले पायदान पर पहुंच गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश में करीब 14 लाख 50 हजार शौचालयों का निर्माण हो चुका है। हालांकि, राजस्थान में अभी भी 60 लाख परिवारों को स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ा जाना बाकी है।

राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जहां 10 लाख 50 हजार शौचालय बनाए गए हैं। गौरतलब है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2019 तक देश को खुले में शौच से मुक्त किया जाना है ।

(दै.भा., 19.12.15)

संसद में हो चर्चा, न हो कोई बाधा

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि संसद चर्चा, असहमति और निर्णय से चलनी चाहिए, न कि बाधा पैदा की जानी चाहिए। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय शताब्दी हाल में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की याद में अपने संबोधन में यह बात कही।

उन्होंने कहा कि हंगामा कर संसदीय कार्यवाही में बाधा पैदा नहीं की जानी चाहिए। ऐसा करने के लिए कई अन्य स्थान है। कुछ समय से विभिन्न मुद्दों पर संसदीय कार्यवाही में उत्पन्न की जा रही बाधा के मद्देनजर उनकी टिप्पणियां बेहद अहम है।

(रा.प., 14.12.15)

किसानों को जारी होंगे 'सॉयल हैल्थ कार्ड'

कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा है कि सॉयल हैल्थ कार्ड खेती की जमीन के लिए जन्मपत्री का काम करेगा। किसान भाई अगर इस कार्ड के दिशा-निर्देशों के आधार पर खेती करेंगे, तो उत्पादन बढ़ेगा, खेती की लागत घटेगी और मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

वर्ल्ड सॉयल डे पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में मिट्टी के स्वास्थ्य की चिंता होने लगी है। अब हर साल 5 दिसम्बर का दिन वर्ल्ड सॉयल डे के रूप में मनाया जाएगा। प्रदेश में 70 लाख किसानों को यह कार्ड वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन मृदा परीक्षण के लिए प्रयोग शालाओं की कमी होने से अभी तक ढ़ाई लाख किसानों को ही यह कार्ड वितरित हो पाए हैं। जल्द ही 55 नई प्रयोगशालाओं की स्थापना कर कार्य में तेजी लाई जाएगी।

(दै.न., 06.12.15)

बिजली छीजत पर लगाम कसेंगे निजी हाथ

राज्य सरकार ने बिजली कंपनियों को 90 हजार करोड़ रुपए के घाटे से उबारने के लिए निजीकरण की राह चुनी है। लगातार बढ़ रही बिजली चोरी व छीजत घटाने के लिए शुरू में तीन शहर चुने गए हैं। प्रदेश के कोटा, भरतपुर व अजमेर शहर के उपभोक्ताओं को 2036 तक निजी कंपनी बिजली आपूर्ति करेगी।

इसके साथ ही निविदा प्रक्रिया का पूरा कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। इसमें तकनीकी निविदा दिसम्बर में खोलने का प्रस्ताव है। अगर सरकार की हरी झंडी यथावत रही तो नए साल से निजीकरण की शुरुआत हो जाएगी। दूसरे चरण के लिए भी अन्य जिलों में संभावनाएं तलाशी जा रही है। इस प्रक्रिया में अलवर, जोधपुर सर्किल और नागौर जिले का नाम सामने आ रहा है। *(रा.प., 16.10.15, 22.10.15)*

चोरी रोकेगा नया तन्त्र

- *निजी कंपनी खराब होते ही मीटर बदलेगी ताकि उपभोग की पूरी बिलिंग हो सके।*
- *ऐसा तन्त्र बनाएगी कि कोई बिजली की चोरी नहीं कर सके।*
- *जो कनेक्शन नहीं मिलने पर चोरी कर रहे हैं, उन्हें तत्काल कनेक्शन देगी।*
- *समय पर मीटर रीडिंग व बिल भेजेगी व निर्धारित समय पर उसकी वसूली करेगी।*

'ग्रीन एनर्जी' से पल्ला झाड़ा

प्रदेश को एक ओर जहां सौर ऊर्जा का हब बनाने के लिए बड़ी-बड़ी बातें की जा रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी बिजली कंपनियां ही नियम-कायदों को ताक पर रख कर ग्रीन एनर्जी के उपयोग से पल्ला झाड़ रही है। पिछले आठ सालों में किसी भी वक्त कंपनियों ने निर्धारित मापदण्ड के अनुसार रिन्युएबल एनर्जी परचेज ओब्लिगेशन (आरपीओ) पूरा नही किया है।

हालात यह है कि कंपनियों पर ग्रीन एनर्जी का बड़ा बैकलॉग चल रहा है। आश्चर्य की बात है कि राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के समय सीमा निर्धारण के बावजूद कंपनियां इस बैकलॉग को पूरा करने से बच रही है। कंपनियां खराब वित्तीय स्थिति और ग्रीन एनर्जी को महंगा बता कर आदेश की पालना नहीं कर रही है। *(रा.प., 31.12.15)*

भारी पड़ेगी बिजली मीटर से छेड़छाड़

बिजली चोरी के लिए मीटर में बाहरी डिवाइस लगाकर छेड़छाड़ व ट्रांसफॉर्मर के मीटर बॉक्स की वैल्डिंग तोड़ने वालों को अब जेल की हवा खानी होगी। ऐसे मामलों में अब विद्युत वितरण निगम सख्त हो गया है।

ऐसा करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। निगम विजिलेन्स चैकिंग व्यवस्था को भी मजबूत बना रहा है। ऐसे उपभोक्ताओं के मामलों में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं 138 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। *(दै.न., 05.11.15)*

विद्युत उत्पादन में होंगे आत्मनिर्भर

ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह राणावत ने कहा है कि राज्य को विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विद्युत तंत्र को बजबूत बनाने के लिए समस्त कार्यों को गति प्रदान की जा रही है।

उन्होंने ग्राम पंचायत पुन्दरवाड़ा के ग्राम मीनापाड़ा में विद्युत सब स्टेशन के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को बिना व्यवधान के बिजली आपूर्ति की जाएगी। कृषि सीजन को देखते हुए ट्रांसफारमर जलने पर 72 घंटे में अनिवार्य रूप से उसे बदल दिया जाएगा। खराब मीटर बदलने को प्राथमिकता दी जाएगी। *(दै.न., 05.11.15)*

बिजली छीजत घटाने के लिए प्लान

प्रदेश में सरकारी बिजली वितरण कंपनियों ने छीजत कम करने व उपभोक्ता सेवाओं में बढ़ोतरी के लिए बिजनेस प्लान की कार्य योजना बनाई है। कार्य योजना को जयपुर डिस्कॉम की बोर्ड मीटिंग में मंजूरी दी गई है। बिजनेस प्लान पर काम करने के लिए केन्द्र सरकार से करीब तीन हजार करोड़ रुपए की मंजूरी मिलेगी। बिजनेस प्लान में बिजली छीजत कम करना, फीडर मीटरिंग, सेपरेट फीडर व फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों पर मीटर लगाने पर काम होगा।

इसके साथ ही उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए उनका फीडबैक लेकर बिजली सप्लाई की गुणवत्ता में सुधार व ट्रिपिंग रोकने के लिए सिस्टम पर काम होगा। *(दै.भा., 31.12.15)*

मेट्रो डिपो में सोलर प्लांट से बिजली

जयपुर मेट्रो के मानसरोवर डिपो में हर वर्ष करीब 1.5 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए डिपो में सोलर पावर प्लांट लगा कर ऊर्जा बचाने की पहल की गई है। प्लांट में करीब 90 लाख रुपए का खर्च आया है। भारत सरकार के सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से छूट देने के कारण इसकी लागत 63 लाख रुपए आई है। प्लांट में 250 वॉट के 414 सोलर पैनल है। जयपुर में हवाई अड्डे के बाद यह दूसरा बड़ा प्लांट है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जयपुर मेट्रो मानसरोवर से चांदपोल के बीच संचालित होती है और इस दौरान ट्रेन चलने से भी बिजली बनती है। यह बिजली ट्रेनों के पहियों की रगड़ से बनकर उसी समय पीछे आ रही दूसरी ट्रेन को सप्लाई हो जाती है। *(दै.भा., 21.12.15)*

सौर व पवन ऊर्जा से चलेंगी ट्रेनें

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ए.के.मित्तल ने कहा है कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए देश के कई हिस्सों में बिजली चालित ट्रेनें चलाने की योजना बनाई गई है। राजस्थान में सौर व पवन ऊर्जा से रेल संचालन किया जाएगा। इसके लिए रेलवे जल्द ही सोलर व विंड एनर्जी प्लांट स्थापित करेगा।

मित्तल ने कहा कि देश के कई बड़े स्टेशनों पर जल्द ही बुलेट ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। अगले साल देश में छह हजार किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया जाएगा। *(रा.प., 26.12.15)*

चेन्नई का मॉडल अपनाएगी सरकार

रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण में राज्य सरकार अब चेन्नई का मॉडल अपनाएगी। वर्षा के बूंद-बूंद पानी को संरक्षित करने के लिए आम जन में जागरूकता के साथ ही अनिवार्यता को लेकर एक कानून तैयार किया जाएगा। चेन्नई में भवनों से बरसात का पानी बह कर बाहर नहीं आता। बरसात के शत प्रतिशत पानी को वहां पर भूमि में डाला जाता है।

जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी ने बताया कि वर्षा का जल शत-प्रतिशत शुद्ध होता है। इस जल के भूमि में जाने से व उसमें कई तरह के लवण मिलने से दूषित पानी की मात्रा बढ़ जाती है। चेन्नई मॉडल से इस समस्या का भी समाधान हो सकेगा और भूजल स्तर में भी काफी बढ़ोतरी हो सकेगी। *(दै.न., 06.10.15)*

पानी हमारा फायदा कारोबारियों का

टैंकरों से जनता को निशुल्क सप्लाई किए जाने वाले पेयजल की कालाबाजारी की हजारों शिकायतों व घटनाओं के बावजूद जलदाय विभाग इस पर अंकुश नहीं लगा पाया है।

एक तरफ टैंकर चालक जनता के हिस्से का पानी बेचने में लगा है, वहीं पानी का कारोबार करने वाले कैंपर सप्लायर उनसे सस्ती दरों पर पानी खरीद लेते हैं तथा यही पानी कैंपर सप्लाई करने वाले कारोबारी ऊंची दरों पर बेच कर काफी मुनाफा कमा रहे हैं। जबकि सरकारी पानी जो टैंकर चालक को मुफ्त में लोगों को सप्लाई के लिए मिलता है, वह कैंपर फर्म को केवल 150-200 रुपए में बेच दे देता है। जबकि प्राइवेट टैंकर की बाजार में दर 250-300 रुपए से कम नहीं है। कई टैंकर संचालकों की इन कैंपर व्यवसाइयों से मिलीभगत भी सामने आ चुकी है।

(दै.भा., 11.10.15)

चलेगा जल स्वावलंबन अभियान

प्रदेश में 26 जनवरी से जल स्वावलंबन अभियान शुरू होगा। अभियान के पहले चरण में तीन से चार हजार गांवों में मिशन मोड पर वाटरशेड के कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सिविल सोसायटी, जन प्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों एवं कॉर्पोरेट जगत से आगे आकर राजस्थान को जल स्वावलम्बी बनाने के अभियान में सहयोग का आह्वान किया है।

उन्होंने कहा है कि उद्योग जगत सरकार के कार्यक्रमों में भागीदार बनकर प्रदेश के विकास में सहयोग करें और नवाचारों पर आधारित ऐसे कार्यक्रम चलाएं, जिनका लाभ युवाओं, समाज के कमजोर वर्गों एवं महिलाओं को मिल सके। *(दै.न., 04.11.15)*

मीटर से वसूलेंगे अब पानी का बिल

जलदाय विभाग अब औसत रीडिंग के बजाय वास्तविक मीटर रीडिंग से ही पानी का बिल वसूल करेगा। इसके लिए फरवरी से पानी कनेक्शनों पर लगे बंद और खराब मीटरों को बदलने का काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल शहर में करीब डेढ़ लाख उपभोक्ताओं को पानी कनेक्शन पर लगे मीटर खराब या बंद होने के कारण औसत रीडिंग के आधार पर बिल चुकाना पड़ता है।

विभाग ने पहले चरण में 12 हजार मीटर बदलने को टेक्निकल रूप से मंजूरी दी है। पानी के मीटर बदलने और सात साल की मेंटिनेंस के लिए विभाग ने प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया है। मीटर की गुणवत्ता की जांच कराने के बाद ही उपभोक्ता के कनेक्शन पर लगाया जाएगा। इससे शहर में 30 फीसदी पानी की छीजत रूक सकेगी। *(दै.भा., 27.12.15)*

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए केबिनेट ने इस योजना के लिए 50 हजार करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह धन राशि 5 वर्षों में खर्च की जाएगी।

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि केबिनेट द्वारा लिया गया यह महत्वपूर्ण निर्णय है। योजना के तहत प्रत्येक राज्य को जिला स्तर पर सिंचाई की योजनाएं बनाकर इसे क्रियान्वित करना होगा। यह योजना हमारे संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए है। योजना के तहत सिंचाई के लिए जल का संरक्षण और पुनर्भरण किया जाएगा। उम्मीद है, किसानों के लिए यह योजना काफी फायदेमन्द सिद्ध होगी। *(दै.न. 24.11.15)*

पेयजल की जानकारी एक क्लिक पर

प्रदेश की जनता को पेयजल से जुड़ी सभी तरह की जानकारियां नए साल से एक क्लिक में उपलब्ध होंगी। फिर चाहे पेयजल योजना के काम की गति हो या आपूर्ति से जुड़ी सूचनाएं, सब कुछ जलदाय विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी।

जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी के निर्देश पर विभाग एवं एनआइसी ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी करली है। माहेश्वरी ने बताया कि ऑनलाइन सूचनाएं उपलब्ध होने से काफी हद तक पारदर्शिता बढ़ेगी। *(रा.प., 23.12.15)*

प्रदेश में पानी हुआ महंगा

प्रदेश में अब घरेलू और औद्योगिक संस्थानों को महंगी दरों पर पानी मिलेगा। राज्य सरकार ने एक नवम्बर 2015 से पानी की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। घरेलू पानी की दरों में 44 पैसे से लेकर एक रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। जलदाय विभाग द्वारा इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।

आठ हजार लीटर प्रतिमाह तक का पानी उपभोग करने वाले सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। वहीं 8 से 15 हजार लीटर पानी उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 1.56 की बजाय दो रुपए प्रति किलोलीटर की दर से बढ़ी दर देनी होगी। इससे ज्यादा 40 हजार किलोलीटर पर 3 रुपए की बजाय 4 रुपए और 40 हजार किलोलीटर से ज्यादा उपभोग करने पर 5 रुपए प्रति किलोलीटर देने होंगे। व्यावसायिक व औद्योगिक श्रेणियों के लिए पेयजल की उत्पादन लागत के अनुसार नई दरें तय की गई हैं।

(दै.न. एवं दै.भा., 06.11.15)

पिता की मौत 2005 से पहले तो बेटी को जायदाद में हिस्सा नहीं

हक: कब है और कब नहीं

हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में बेटी के लिए पिता की संपत्ति में किसी तरह के कानूनी अधिकार की बात नहीं कही गई है। वहीं संयुक्त हिंदू परिवार होने पर बेटी को जीविका की मांग का अधिकार दिया गया था। बाद में 9 सितम्बर 2005 को कानून में संशोधन कर इस असमानता को हटाया गया और पिता की संपत्ति में बेटी को भी बेटे के बराबर अधिकार दिया गया।

हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में पिता की संपत्ति में बेटियों के बराबर के अधिकार को सीमित कर दिया है। कोर्ट ने कानून की व्याख्या करते हुए कहा, अगर पिता की मृत्यु 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन से पहले हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में बेटियों को संपत्ति में बराबर के अधिकार से वंचित रखा जाएगा। बेटी को संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी तभी मिल सकेगी जब पिता 9 सितम्बर 2005 तक जीवित हो। कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005 की व्याख्या करते हुए यह टिप्पणी की है।

यह फैसला पिता की संपत्ति में हिस्से की चाहत रखने वाली बेटियों के लिए दोहरा झटका है। अभी तक वह 20 दिसम्बर 2004 से पहले वाली स्थिति के लिए संपत्ति पर दावा पेश नहीं कर सकती थी, लेकिन अब कोर्ट ने इसके लिए संशोधित अधिनियम अस्तित्व में आने की तारीख यानी 9 सितम्बर 2005 तय कर दी है। *(रा.प., 03.11.15)*

खाद्य सुरक्षा में शामिल मिड-डे-मील

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में मिड-डे-मील को शामिल कर लिया है। इस कानून के तहत मिड-डे-मील के नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के लागू होने से अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 8 तक के हर बच्चे को मिड-डे-मील देना अनिवार्य होगा।

लापरवाही होने पर सरकार से लेकर इससे जुड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। नियमों में मिड-डे-मील नहीं देने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता देने का प्रावधान भी किया गया है। इससे प्रदेश के करीब 67 लाख बच्चों को फायदा होगा। बच्चों को परोसे गए भोजन की मासिक जांच कराने का भी प्रावधान नियमों में है। *(दै.भा., 03.10.15)*

हर पंचायत में महिला ब्रांड एंबेसेडर

बेटी बचाओ अभियान के लिए राज्य सरकार ने विधायक दिया कुमारी को प्रदेश का ब्रांड एंबेसेडर बना रखा है। अब हर जिले व पंचायत स्तर पर इस अभियान के तहत महिला ब्रांड एंबेसेडर बनाई जा रही है जो ग्रामीणों को जागरूक करेंगी।

वह क्षेत्र में गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता लाएंगी। इनके जरिए जहां बेटियों व महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की गांव-गांव तक जानकारी पहुंचेगी, वहीं बेटी पढ़ाओ योजना पर भी जोर दिया जाएगा। *(दै.भा., 06.12.15)*

बेटियों के लिए बने खास योजना

राजस्थान में 15 से 19 वर्ष की आयु की लड़कियों में खून की कमी (एनीमिया) एक बड़ी बीमारी के रूप में उभर रही है। हर दो में से एक लड़की इसकी शिकार है। यदि इस ओर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो यह समस्या एक गंभीर रूप ले सकती है।

सांसद ओम बिड़ला ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मामला लोकसभा में उठाया। उन्होंने मांग की है कि राजस्थान में विशेष सर्वे करा कर एनीमिया से जूझ रही बालिकाओं के लिए विशेष योजना बनाई जाए। साथ ही मापदंड के तहत खून की कमी वाली बालिकाओं को पोषक आहार, आयरन और चिकित्सकीय सुविधाएं व सलाह दी जाए। *(रा.प., 02.12.15)*

बेटी के जन्म पर मिलेंगे 21 हजार रुपए

राज्य सरकार प्रसूति सहायता योजना के अन्तर्गत महिला निर्माण श्रमिकों को लड़की के जन्म पर 21 हजार और लड़के के जन्म पर 20 हजार रुपए की सहायता राशि देगी। पहले यह राशि 10 हजार और 6 हजार रुपए थी। बढ़ाई गई राशि के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में पंजीकृत सात लाख से ज्यादा हिताधिकारियों व उनके आश्रितों को इसके अलावा केन्द्रीय योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। *(दै.न., 17.11.15)*

बढ़ गई नवजात मृत्यु दर

सरकार का दावा है कि राज्य में नवजात मृत्यु दर घट रही है। वर्ष 2009 में जहां नवजात मृत्यु के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर था, वहीं 2013 तक स्थिति सुधरी और चौथे स्थान पर आ गया। लेकिन अब सरकारी अस्पतालों के मौजूदा आंकड़े बताते है कि तस्वीर तेजी से उलट रही है।

वर्ष 2013-14 के मुकाबले 2014-15 में नवजात मृत्यु 86 प्रतिशत तक बढ़ गई है। एनएचएम के अधिकारी इन आंकड़ों पर स्पष्ट बोलने को तैयार नहीं हैं। 2013-14 में 4754 नवजातों की मृत्यु जन्म के 28 दिन के भीतर हो गई थी, यह आंकड़ा 2014-15 में बढ़कर 8856 हो गया। *(दै.भा., 06.12.15)*

मनरेगा में घटी महिला मेट की संख्या

राज्य में मनरेगा योजना के तहत कार्यस्थल पर कम से कम 50 प्रतिशत महिला मेट लगाए जाने के आदेश धूल चाट रहे हैं। सभी जिलों में औसतन 20 फीसदी से भी कम महिला मेट काम कर रही है। जिलों में लगातार बरती जा रही लापरवाही से यह बदहाली सामने आई है। इसी कारण महिला मेट की कमी से महिला श्रमिकों के आंकड़े भी घटने लगे हैं।

केन्द्र सरकार के सामने यह पोल खुलने और नाराजगी के बाद अब ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग हरकत में आया है। कलेक्टरों को नियमित मॉनिटरिंग के आदेश दिए गए हैं कि वे मेट नियोजन के काम को नियमानुसार पूरा करेंगे। *(दै.न., 16.11.15)*

सड़क सुरक्षा

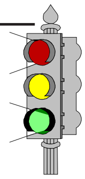

जरा सी सावधानी, टाल सकते हैं हादसे

शहर की सड़कों पर दौड़ रहे लाखों वाहनों की रोजाना रेलमपेल और तेज रफ्तार में एक दूसरे वाहनों को ओवरटेक कर आगे निकलने की होड़ और इसी जिद्दोजहद में यातायात नियमों की पालना के बजाय उनका उल्लंघन कर वाहन दौड़ाकर ले जाने की जल्दी जैसी अनदेखी रोजाना जयपुर शहर में एक जान ले लेती है। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों पर नजर डाले तो राजधानी में रोजाना ऐसे 1318 वाहन चालक यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

हर माह करीब 37 वाहन चालकों की मौत और 142 लोग घायल हो रहे हैं। नतीजतन सड़क दुर्घटनाओं की रोजाना 40 घटनाएं होती है। इनमें एक आदमी की रोजाना जान जा रही है, जबकि 5 लोग घायल हो रहे हैं। भले ही पुलिस ऐसे वाहन चालकों का चालान काटकर कार्रवाई करे, लेकिन हादसों और मौत का यह सिलसिला थम नहीं रहा। इन हादसों को रोकने के लिए एक पहल खुद को करनी है। *(दै.भा., 06.11.15)*

सिर्फ इतना ध्यान रखें तो बच सकती हैं कई जान

- *मजबूत हेलमेट लगाकर वाहन चलाएं उसकी बेल्ट बंधी हो।चौपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाना न भूले।*
- *लाल बत्ती या जेबरा लाइन पर ठहरें और ट्रेफिक सिग्नल पर हरी बत्ती होने का इंतजार करें।*
- *वाहन चलाते समय मोमाइल पर बात नहीं करें। लेन सिस्टम का पूरा पालन करें।*
- *निर्धारित गति से ज्यादा तेज गति से वाहन न चलाएं। शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं।*

जन स्वास्थ्य

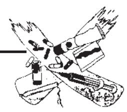

प्रदेश में अब सेहत की गारंटी

प्रदेश में भाजपा सरकार के दो साल पूरे होने पर जयपुर के जनपथ पर समारोह मनाया गया। समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रदेश के विकास और भाजपा पर जनता के विश्वास की सराहना की। खुले मंच पर सरकार, प्रदेश और जनता के स्वास्थ्य पर बातें हुई। सरकार ने माना कि प्रदेश में सत्ता और संगठन चुस्त-दुरुस्त है।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक करोड़ परिवारों के लिए भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की। सभी का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी। योजना में 3 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। इसके लिए 167 निजी और 250 सरकारी अस्पताल अधिकृत किए गए हैं। राजे ने समारोह में 29 हजार करोड़ की दो दर्जन योजनाओं की घोषणा की और जनता को विश्वास दिलाया कि प्रदेश की सेहत यानी विकास को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। *(दै.भा., 14.12.15)*

आयुर्वेद सिखाएगा चुस्त दुरुस्त रहना

आयुर्वेद आमजन को चुस्त दुरुस्त रहना सिखाएगा। देश दुनिया में योग के प्रति बढ़ते आकर्षण और आमजन में सेहत के प्रति आई जागरूकता की बदौलत अब प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र खोले जाएंगे।

चालू वित्तीय वर्ष में दस जिलों में 297 करोड़ रुपए की लागत से प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों का निर्माण होगा। केन्द्रों पर आयुर्वेद चिकित्सक सुबह एवं शाम को आमजन को योगाभ्यास और प्राकृतिक चिकित्सा से अवगत कराएंगे। आगामी वित्तीय वर्ष में शेष जिलों में भी केन्द्र चालू कर दिए जाएंगे। *(रा.प., 23.12.15)*

वित्तीय सेवाएं

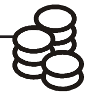

सेबी कंपनियों से वसूला धन निवेशकों को लौटाएगा

पूंजी बाजार नियमक सेबी आइपीओ में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों से प्राप्त धन को उनके पात्र निवेशकों को लौटाएगा। सेबी के इस कदम से कम से कम 4.63 लाख निवेशकों को फायदा होगा। सेबी द्वारा निवेशकों को ऐसी कुल 18.06 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाएगी। इसमें से 7.35 करोड़ रुपए की राशि उसने हाल ही प्राप्त अधिकारों के तहत वसूली है।

जिन मामलों में पात्र निवेशकों के बैंक खातों के बारे में ब्यौरा उपलब्ध है, वहां राशि संबंधित खातों में डाल दी जाएगी और निवेशकों को इसकी सूचना दे दी जाएगी। निवेशकों के फायदे के लिए पात्र निवेशकों की सूची और उन्हें भेजी गई राशि का पूरा ब्योरा सेबी अपनी वेबसाइट पर भी डालेगा। सेबी ने बाजार में गड़बड़ी रोकने तथा निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कड़े प्रावधान किए हैं। इससे प्रतिभूति बाजार में गुणवत्तापूर्ण स्तर सुनिश्चित करने में सेबी कामयाब हुआ है। *(न.नु., 19.12.15)*

मानक सेवा

मानक ब्यूरो विधेयक 2015 लोकसभा में पेश

भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक 2015 को विचार के लिए लोकसभा में पेश किया गया है। नये विधेयक में सिस्टम और सेवा को भी जोड़ा गया है। साथ ही दंड के प्रावधान को कठोर बनाया गया है। यह जानकारी केन्द्रीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात मंत्री राम विलास पासवान ने देते हुए कहा कि पिछला कानून काफी पुराना हो गया था और अर्थव्यवस्था के बदलते परिदृश्य को देखते हुए इसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य भारतीय मानक ब्यूरो को एक राष्ट्रीय मानक निकाय घोषित करना और मानकीकरण और सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को सरल बनाना है।

उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार ने इस संबध में एक विधेयक पेश किया था और इसे विचार के लिए स्थाई समिति को भेजा था। समिति की रिपोर्ट भी आ गई थी, लेकिन बाद में लोकसभा भंग हो गई। अब नई सरकार ने वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति और सेवाओं के मानकीकरण, अनुरूपता निर्धारण और क्वालिटी आश्वासन के क्रियाकलापों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए एक राष्ट्रीय मानक निकाय की स्थापना के खातिर विचार-विमर्श के बाद पुराने संशोधन विधेयक के स्थान पर नया विधेयक लाने का फैसला किया है। *(न.नु., 03.12.15)*

उपभोक्ता फैसले

ब्रेड का वजन कम निकला, अब देना होगा हर्जाना

जयपुर में रामगढ़ मोड़ पर कृष्णा कॉलोनी निवासी हेमलता जायसवाल ने सूरजपोल बाजार हीदा की मोरी स्थित रिलायंस फ्रेश और ब्रेड उत्पादक हारवेस्ट गोल्ड इंडस्ट्रीज के खिलाफ जिला उपभोक्ता मंच, जयपुर में परिवाद दर्ज कराया। जायसवाल ने अपने परिवाद में मंच को बताया कि उन्होंने रिलायंस फ्रेश से घर के लिए जरूरी सामान खरीदा था, जिसमें एक ब्रेड का 500 ग्राम का पैकेट भी था। उन्होंने इसकी पूरी कीमत 22 रुपए चुकाए। लेकिन जब उन्होंने ब्रेड के पैकेट का वजन कराया तो 380 ग्राम ही निकला। यानी पूरी कीमत देने के बाद भी 120 ग्राम कम। उन्होंने इसकी रिलायंस फ्रेश के अधिकारी से शिकायत भी की। लेकिन जवाब मिला कि हम पैकिंग उत्पाद, उत्पादक से मिली वास्तविक स्थिति पर ही बिक्री करते हैं। इसमें छेड़छाड़ नहीं की जाती।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने ग्राहक के साथ हुई इस धोखाधड़ी को गंभीर सेवा दोष माना। मंच ने हीदा की मोरी स्थित रिलायंस फ्रेश और ब्रेड उत्पादक हारवेस्ट गोल्ड इंडस्ट्रीज को आदेश दिए हैं कि वे हेमलता जायसवाल से अधिक वसूले गए पांच रुपए 28 पैसे नौ प्रतिशत ब्याज सहित वापस लौटाए, साथ ही जायसवाल को हर्जाने स्वरूप 7000 रुपए भी अदा करें। *(रा.प., 30.10.2015)*

चोरी हुए सामान की क्षतिपूर्ति देगा रेलवे

सुरेन्द्र कुमार जाटव ने सूरतगढ़ से सवाईमाधोपुर आने के लिए हनुमानगढ़-कोटा ट्रेन के एसी कोच में तीन टिकट बुक कराई थी। उन्होंने 27 अक्टूबर 2013 को उक्त ट्रेन से यात्रा की। उनके सूटकेस व ट्रॉली बैग बर्थ के नीचे रखे थे। जयपुर आने पर पता चला कि ट्रॉली बैग में रखा 3 लाख 60 हजार रुपए के कीमती सोने व चांदी के आभूषण, कपड़े, कैमरा आदि सामान गायब है। बैग की चैन भी कटी हुई थी। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर शिकायत करने पर टीटीए ने एफआइआर की रसीद दी। जीआरपी थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन चोरी गया सामान नहीं मिला।

सुरेन्द्र कुमार जाटव ने उपभोक्ता जिला मंच में मंडल रेल प्रबन्धक उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। उन्होंने सुनवाई पर मंच को सारी स्थितियों से अवगत कराया। मंच ने रेलवे के एसी कोच से सामान चोरी होने पर रेलवे को दोषी माना। मंच ने मंडल रेल प्रबन्धक उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर को आदेश दिए है कि वह सुरेन्द्र कुमार जाटव को चोरी गए सामान की कीमत 3 लाख 60 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति अदा करे। इसके साथ ही मानसिक संताप के एवज में 20 हजार रुपए एवं परिवाद व्यय के पांच हजार रुपए अलग से अदा करे। यह राशि तीन माह की अवधि के भीतर परिवादी को चुकानी होगी। *(रा.प., 15.12.15)*

खास समाचार

जनवरी से उपभोक्ताओं को हाथोहाथ मिलेगा न्याय

उपभोक्ताओं को हाथोहाथ न्याय दिलाने के मकसद से जनवरी से प्रदेश में उपभोक्ता लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इससे राज्य आयोग और जिला मंचों में लम्बित प्रकरणों का भी जल्दी निस्तारण किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आयोजित समारोह में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात मंत्री हेम सिंह भड़ाना ने यह यह घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए कारगर कदम उठाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों के गांवों में हर उपभोक्ता को खान-पान की शुद्ध सामग्री उपलब्ध हो सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं के मामलों के निपटारे के लिए उपभोक्ता मामले विभाग के भवन के लिए हसनपुरा में जमीन आवंटित की जा चुकी है, जल्द ही वहां भवन निर्माण शुरू किया जाएगा। इससे पहले विभाग को रेलवे स्टेशन के सामने आरटीडीसी के एक भवन में स्थानान्तरित किया जा रहा है। संभागीय आयुक्त हनुमान सिंह भाटी ने कहा कि हमें उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए एक जुटता से जन आन्दोलन बनाने का प्रयास करना होगा।

इस अवसर पर अन्तरराष्ट्रीय उपभोक्ता नीति विशेषज्ञ बिजोन मिश्रा ने कहा कि मिलावट की रोकथाम के लिए ऐसा तंत्र विकसित किया जाए, जिससे शुद्धता और मिलावट का पता लग सके। 'कट्स' के निदेशक एवं भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एडवाईजरी कमेटी के सदस्य जॉर्ज चेरियन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में आमजन को जानकारी देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता जताई।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है। आप उपभोक्ता सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी अथवा शिकायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

ग्राहक सुविधा केन्द्र
कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), डी-218 ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
ई-मेल: gsk@cuts.org फोन +091.141.4015395

स्त्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोन: 91.141.513 3259 फैक्स: 228 2485, टेलीफैक्स: 401 5395, ई-मेल: cart@cuts.org, वेबसाईट: www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।